न्यायालय सहायक कलक्टर, (Fast Track) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रशान्त शर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 33/2020

वादीगण		प्रतिवादीगण
1 सवाईराम 2 राणाराम पिसरान अणदाराम जाति जाट निवासी आदर्श बस्ती नांद, तहसील व जिला बाडमेर।	बनाम	1 अणदाराम पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी आदर्श बस्ती नांद, तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री भोमाराम चौधरी, वकील वादीगण।

2. श्री हरीराम चौधरी, वकील प्रतिवादी।

निर्णय

दिनांक 11.09.20

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01, मोतीराम के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक भूमि मौजा महादेव नगर पटवार क्षेत्र नांद तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 945/471 रकबा 46.17 बीघा, खसरा संख्या 946/471 रकबा 58.12 बीघा कुल रकबा 105.09 बीघा भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के पिता मोतीराम की फौतगी पर वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 01 अणदाराम के नाम दर्ज हुई। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 अणदाराम के विधिक वारिस है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का वादग्रस्त भूमि में 1/3–1/3 हिस्सा खातेदारी का बनता है, जिसे घोषित करवाने की वादीगण अधिकारी है।

वकील प्रतिवादी संख्या 01 अणदाराम की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 अणदाराम के वंशज होने के कारण पैतृक भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा जन्म से निहित है। वादीगण को उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित कर 1/3–1/3 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपति नही है।

वादी संख्या 01 सवाईराम द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र सामिल मिसल किया गया। वादी संख्या 01 सवाईराम द्वारा शपथ पत्र में अंकित किया कि वाद पत्र मे अंकित समस्त कथन सही है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 अणदाराम के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा घोषित किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012 से 2031 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 एवं राजीनामा का

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) बाड़मेर

Scanned with CamScanner

भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादीगण का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 अणदाराम के साथ अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा महादेव नगर पटवार क्षेत्र नांद तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 945/471 रकबा 46.17 बीघा, खसरा संख्या 946/471 रकबा 58.12 बीघा कुल रकबा 105.09 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 अणदाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रशान्त शर्मा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 11.09.20 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

Scanned with CamScanner

प्रपत्र – 5

न्यायालय सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक), बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री प्रशान्त शर्मा (आर.ए.एस.) अन्तिम डिक्री

अनवान

वादीगण		प्रतिवादीगण
1 सवाईराम 2 राणाराम पिसरान अणदाराम जाति जाट निवासी आदर्श बस्ती नांद, तहसील व जिला बाडमेर।	बनाम	1 अणदाराम पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी आदर्श बस्ती नांद, तहसील व जिला बाडमेर।

दावा बाबत् 88 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :– 33/2020

निर्णय दिनांक :– 11.09.20

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी संख्या 01 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 11.09.20 को श्री प्रशान्त शर्मा, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा महादेव नगर पटवार क्षेत्र नांद तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 945/471 रकबा 46.17 बीघा, खसरा संख्या 946/471 रकबा 58.12 बीघा कुल रकबा 105.09 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 अणदाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह आज तारीख 11.09.20 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(प्रशान्त शर्मा)
पीठासन अधिकारी
सहायक कलक्टर,
(फास्ट ट्रेक) बाडमेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्सप	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	